राजस्व वाद 292/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
रामकिशोर वगैरह बनाम् भंवरलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :292 /2021

वादीगण–

1. रामकिशोर पुत्र भंवरलाल
2. मनीराम पुत्र भंवरलाल

जातियान–जाट निवासीगण– बोड़िद कलां, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भंवरलाल पुत्र आशाराम
2. तीजा देवी पुत्री भंवरलाल
3. भगवती देवी पुत्री भंवरलाल

जातियान–जाट निवासीगण– बोड़िद कलां, तहसील–जायल।

4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री प्रियंका नवहाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 20/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा बोड़िद कल्ला ग्राम तहसील जायल में खेत खसरा नं. 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टेयर कुल खसरे 8 कुल रकबा 16.1956 रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 2 वर्ष पूर्व में वाद के पैरा संख्या 3 (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा है। वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का

20/12/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

खसरा नंबर 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 2.9381 हैक्टेयर पश्चिती भाग नजरीनक्शानुसार रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर पूरा, खसर नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पूरा यथावत रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 कमश तीजा देवी व भगवती देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 14.12.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वंय उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत जायल मेगा शिविर में ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री प्रियंका नवहाल ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह मनीराम पुत्र भंवरलाल, रामकिशोर पुत्र भंवरलाल के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 91 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा बोड़िद कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 37, 4, 5 की खातेदारी यथावत् वादी रामकिशोर व खसरा नंबर 10, 11 की खातेदारी यथावत वादी मनीराम एवं खसरा नंबर 12, 345/294 की खातेदारी यथावत प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट में चाही गई है तथ्ज्ञा खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर की खातेदारी वादी मनीराम एवं रामकिशोर के मध्य नजरीनक्शानुसार जरिये ईकबाली जबाब सहमति अनुसार चाही गई है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से बंटवाड़े की इच्छा जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तीजा देवी व भगवती देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राज़हक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा बोड़िद कलां के खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र आशाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 292/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
रामकिशोर वगैरह बनाम् भंवरलाल वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद कलां के खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र आशाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा है।
2. वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 2.9381 हैक्टेयर पश्चिती भाग नजरीनक्शानुसार रखा है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर पूरा, खसरे नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पूरा यथावत रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 कमश तीजा देवी व भगवती देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 292/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/
रामकिशोर वगैरह बनाम् भंवरलाल वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :292 /2021

वादीगण–

1. रामकिशोर पुत्र भंवरलाल
2. मनीराम पुत्र भंवरलाल

जातियान–जाट निवासीगण– बोड़िद कलां, तहसील–जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भंवरलाल पुत्र आशाराम
2. तीजा देवी पुत्री भंवरलाल
3. भगवती देवी पुत्री भंवरलाल

जातियान–जाट निवासीगण– बोड़िद कलां, तहसील–जायल।

4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री प्रियंका नवहाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री प्रिंयका नवहाल अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़िद कलां के खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर, खसरा नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर, खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5 रकबा 2.4362 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र आशाराम के साथ सहखातेदार घोंषित कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 37 रकबा 2.0234 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 4 रकबा 1.6673 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर

20/12/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रकबा 2.4362 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा है।

2. वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 10 रकबा 1.9263 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 11 रकबा 1.2141 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 33 रकबा 3.9093 हैक्टेयर में से 2.9381 हैक्टेयर पश्चिती भाग नजरीनक्शानुसार रखा है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बोड़िद कलां का खेत खसरा नंबर 12 रकबा 2.8571 हैक्टेयर पूरा, खसर नंबर 345/294 रकबा 0.1619 हैक्टेयर पूरा यथावत रखा गया है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 कमश तीजा देवी व भगवती देवी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

नोट– प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमुनसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोटः–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner